भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1224

6 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियो का चयन

1224. डॉ. राजकुमार सांगवान:

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता और चयन के मानदंड क्या हैं;

(ख) वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन विभिन्न सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों को शामिल किया गया है;

(ग) चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार, क्षेत्र-वार और लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार, विशेष रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में, झुंझुनू और बागपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल कितने लाभार्थियों ने नि:शुल्क उपचार प्राप्त किया है;

(घ) क्या सरकार का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नि:शुल्क उपचार की वर्तमान सीमा को 5 लाख रुपये से बढाकर 20 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, लाभार्थी परिवारों के लिए पात्रता मानदंड प्रारंभ में 2011 के सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटाबेस से निर्धारित किए गए थे। जनवरी, 2022 में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना में नहीं पहचाने गए छूटे हुए परिवारों के लिए गैर-एसईसीसी, आधार-आधारित लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने की छूट दी गई। तदनुसार, कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने समान

सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले परिवारों के डेटाबेस, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) डेटाबेस, परिवार पहचान-पत्र और अन्य राज्य-विशिष्ट डेटाबेस को अपनाकर इस कमी को पूरा किया।

मार्च 2024 में, इस योजना के तहत पात्रता मानदंड का विस्तार करते हुए इसमें 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायकों और उनके परिवारों को शामिल किया गया। इसके अलावा, अक्टूबर, 2024 में, सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई योजना का विस्तार करते हुए लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों (70 वर्ष और उससे अधिक आयु के) को, जो 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से प्रभावित हुए बिना, वय वंदना कार्ड के माध्यम से प्रति वर्ष ₹5 लाख तक के मुफ्त उपचार का लाभ प्रदान किया।

(ग): चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्पताल में अधिकृत रूप से भर्ती होने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	अस्पताल में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की स्वीकृत संख्या (करोड़ में)
2022-23	1.59
2023-24	1.98
2024-25	2.42
2025-26 *(31.12.2025 तक)*	2.04

राजस्थान के झुंझुनू जिले और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, अस्पताल में अधिकृत रूप से भर्ती होने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	अस्पताल में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की स्वीकृत संख्या	
	झुंझुनू	बागपत
2022-23	59,602	5366
2023-24	77,040	13,655
2024-25	71,525	18,723
2025-*26 (31.12.2025तक)*	61,705	18,654

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत अस्पताल में अधिकृत रूप से भर्ती होने वाले व्यक्तियों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ) से (च): वर्तमान में, योजना के अंतर्गत वित्तीय कवरेज की अधिकतम सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के तहत अस्पताल में अधिकृत रूप से भर्ती होने वालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिकृत रूप से भर्ती होने की संख्या (अप्रैल, 2022 से दिसंबर, 2025 तक) (लाखों में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.03
आंध्र प्रदेश	70.48
अरुणाचल प्रदेश	0.13
असम	16.50
बिहार	24.24
चंडीगढ़	0.73
छत्तीसगढ	57.82
दिल्ली	0.20
गोवा	0.24
गुजरात	48.37
हरियाणा	27.44
हिमाचल प्रदेश	3.00
जम्मू और कश्मीर	15.45
झारखंड	16.16
कर्नाटक	114.07
केरल	39.59
लद्दाख	0.32
लक्षद्वीप	0.02
मध्य प्रदेश	56.53
महाराष्ट्र	32.74
मणिपुर	2.52
मेघालय	8.11
मिजोरम	1.15
नागालैंड	0.99
ओडिशा	10.45
पुदुचेरी	1.52
पंजाब	20.33
राजस्थान	70.13
सिक्किम	0.35
तमिलनाडु	48.78
तेलंगाना	24.10
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.77
त्रिपुरा	4.34
उत्तर प्रदेश	71.88
उत्तराखंड	13.52
